सं0सं0–1/विविध–10/2016– 567(1)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शेखर चन्द्र वर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा– वित्त विभाग।

पटना, दिनांक– 2/5/2016

विषयः– **"विकसित बिहार के सात निश्चय" अन्तर्गत राज्य में 5 (पाँच) नये मुख्यमंत्री निश्चय चिकित्सा महाविद्यालय एवं जिला स्तर पर 24 (चौबीस) नये मुख्यमंत्री निश्चय पारामेडिकल संस्थान खोले जाने हेतु कुल अनुमानित रु0 21,20,00,00,000/– (रुपये एक्कीस अरब बीस करोड़) मात्र की लागत पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति ।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि "विकसित बिहार के सात निश्चय" अन्तर्गत राज्य में 5 (पाँच) नये मुख्यमंत्री निश्चय चिकित्सा महाविद्यालय एवं जिला स्तर पर 24 (चौबीस) नये मुख्यमंत्री निश्चय पारामेडिकल संस्थान खोला जाना है। प्रति चिकित्सा महाविद्यालय रु0 400.00 करोड़ की अनुमानित दर से 5 (पाँच) चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना हेतु कुल व्यय रु0 20,00,00,00,000/– (रुपये बीस अरब) मात्र एवं प्रति पारामेडिकल संस्थान रु0 5.00 करोड़ (रुपये पाँच करोड़) की अनुमानित दर से 24 (चौबीस) नये पारामेडिकल संस्थानों की स्थापना हेतु कुल व्यय रु0 1,20,00,00,000/– (रुपये एक अरब बीस करोड़) मात्र अनुमानित है। वर्णित परिप्रेक्ष्य में "विकसित बिहार के सात निश्चय" अन्तर्गत राज्य में 5 (पाँच) नये मुख्यमंत्री निश्चय चिकित्सा महाविद्यालय एवं जिला स्तर पर 24 (चौबीस) नये मुख्यमंत्री निश्चय पारामेडिकल संस्थान खोले जाने हेतु कुल अनुमानित रु0 21,20,00,00,000/– (रुपये एक्कीस अरब बीस करोड़) मात्र की लागत पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2– राज्य में 5 (पाँच) नये चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना हेतु प्रति चिकित्सा महाविद्यालय न्यूनतम 20 एकड़ भूमि की आवश्यकता है। इस निमित्त स्थल चयन प्रक्रियाधीन है। भूमि की उपलब्धता एवं एम0सी0आई0 मानकों के आधार पर चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना हेतु स्थल का चयन किया जायेगा। पारामेडिकल संस्थान के निर्माण निम्न जिलों में किया जाना है–

(1) अररिया (2) अरवल (3) औरंगाबाद (4) बाँका (5) भोजपुर (6) बक्सर (7) मोतिहारी (पूर्वी चम्पारण) (8) जहानाबाद (9) कटिहार (10) किशनगंज (11) लखीसराय (12) मधेपुरा (13) मधुबनी (14) मुंगेर (15) सहरसा (16) शेखपुरा (17) शिवहर (18) सीतामढ़ी (19) सुपौल (20) वैशाली (21) बेगुसराय (22) जमुई (23) कैमुर (24) सारण

स्थल चयन हेतु उपरोक्त जिलों के जिला पदाधिकारी से भूमि की उपलब्धता के संबंध में सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया हैं।

3– यह राज्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561/वि0(2), दिनांक–17.04.98, 2880/ वि0(2), दिनांक–06.05.06 एवं 2938/वि0(2), दिनांक–08.04.08 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

क्रमशः

4– वित्त विभाग के परिपत्र सं0–4052/वि0 दिनांक–28.04.2015 के आलोक में इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

5– इस राशि के व्यय का वहन माँग संख्या–20, मुख्य शीर्ष–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय–03– चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–050–भूमि–0103–नये चिकित्सा महाविद्यालय एवं पारा मेडिकल संस्थान हेतु, विपत्र कोड–पी4210030500103, राज्य योजना स्कीम कोड–HEA-5144 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 के योजना व्यय में विषय शीर्ष 53 01 मुख्य निर्माण कार्य ईकाई में उपबंधित राशि एवं/या आवश्यकतानुसार उद्व्यय एवं उपबंध प्राप्त कर किया जायेगा।

6– अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना "बी0टी0सी0 फॉर्म–46" में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नहीं बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से कार्यकारी एजेन्सी को उपलब्ध करायेंगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट में जमा कर कार्य को विधिवत् संपादित करायेंगे। राशि की निकासी कार्य की प्रगति को देखते हुए आवश्यकतानुसार की जाएगी।

7– कार्यकारी एजेन्सी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं डी0सी0 बिल महालेखाकार, बिहार को भेजते हुए उसकी एक प्रति स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को भी उपलब्ध करायेंगे।

8– प्रस्ताव में योजना प्राधिकृत समिति की बैठक दिनांक–18.02.2016 एवं मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–19.02.2016 के मद संख्या–13 में स्वीकृति प्राप्त है।

9– वित्त विभाग की सहमति सं0सं0–1/विविध–10/2016 के पृष्ठ–10/टि0 पर प्राप्त है।

10– राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

11– यह मात्र राज्यादेश है, आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

विश्वासभाजन

29/4/16

(शेखर चन्द्र वर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः–1/विविध–10/2016–567(1) /स्वा0, पटना, दिनांक– 2/5/2016

प्रतिलिपिः–योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सभी संबंधित जिलाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/प्राचार्य/अधीक्षक, सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य विभाग कोषांग/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा–1), स्वास्थ्य के निजी सहायक/उप सचिव (प्रभारी प्रशाखा–1), स्वास्थ्य के निजी सहायक/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–1, 2, 4, 6, 10, 11, 17/कार्यवाह सहायक/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

29/4/16

सरकार के संयुक्त सचिव।